अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 62/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

प्रेम कंवर पत्नी स्व॰ श्री बने सिंह, जाति राजपुत, निवासी मकान संख्या 812, बक्षी हेमराज की गली, पानो का दरीबा, चौकडी रामचन्द्र जी जयपुर, राजस्थान जरिये मुख्त्यारखास आशा कंवर नरूका पुत्री स्व॰ श्री बने सिंह पत्नी श्री प्रकाश अरोडा।

अपीलार्थी

बनाम

1. आशा कंवर पुत्री स्व॰ श्री बने सिंह पत्नी प्रकाश अरोडा
2. निहाल सिंह पुत्र स्व॰ श्री बने सिंह
   निवासी मकान नम्बर 812, बख्शी हेमराज की गली, पानो का दरीबा, चौकडी रामचन्द्र जी, जयपुर।
3. अजय सिंह नरूका पुत्र स्व॰ श्री. बने सिंह
   निवासी मकान नम्बर 22, रतन नगर, शेखावत मार्ग, निवारू रोड, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 13.09.2023 उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण संख्या 35/2019 ब उनवानी श्रीमती प्रेम कंवर बनाम आशा कंवर व अन्य।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थिया मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 08.10.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 35/2019 ब उनवानी श्रीमती प्रेम कंवर बनाम आशा कंवर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यथीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं प्रत्यर्थी संख्या 03 मय प्रतिनिधि के उपस्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 2 उपस्थित नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 35/2019 अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 21.10.2021 को यह कहते हुये खारिज कर दिया था कि मकान के कमरो का खाली कराना व इकरारनामा वापिस दिलाना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नही आता है। साथ ही प्रार्थिया पेंशन प्राप्त कर रही है ऐसे में प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है । जिसकी अपील प्रार्थिया द्वारा पूर्व में अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो अपील नम्बर 10/2021 दायर की गई जिसमें अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक 04.08.2022 को निर्णय पारित कर रिमाण्ड किया गया कि "माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण अधिकारी जयपुर प्रथम को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर सम्पत्ति एवं इकरारनामा बाबत नये सिरे से निर्णय पारित करे। अपीलीय अधिकरण के आदेशानुसार प्रार्थीया द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र मय आदेश प्रस्तुत किया, जिसको अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 13.09.2023 को यह कहते हुये खारिज कर दिया गया कि सम्पत्ति से संबंधित विवाद सुनने का श्रवणाधिकार अधिकरण को नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण के आदेश की पालना ना कर मनमाना आदेश पारित किया गया है, जबकि धारा–23 (2) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकरण को सुनवाई एवं न्याय निर्णयन का पूर्ण अधिकार है। उक्त अधिनियम की धारा–27 में साफ–साफ लिखा है कि सिविल न्यायालयों का कोई भी नियम इस अधिनियम के तहत लागू नहीं होगा। अधीनस्थ अधिकरण ने अधिनियम की धारा–27 की अवहेलना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा बार–बार यह कहा जाता है कि मकान नम्बर 812, बख्शी हेमराज की गली, दरीबा पान, चौकडी रामचन्द्र जी जयपुर का आधा हिस्सा उसके पास बन्धक रखा हुआ है एवं विक्रय इकरारनामा है इसके बाबत प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी व उसके पति को 09 लाख रूपये सन् 2011 में दिये थे जिसे अपीलार्थी ने नहीं लौटाये है। इस कारण बंधकशुदा मकान की सम्पत्ति पर उसका हक है। जबकि सत्यता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास बन्धक रखा गया है, जिसमें दीवानी वाद संख्या 23/08 (1086/08) लम्बित था। जिसमें प्रार्थीया एवं उसके पति के हक में फैसला हुआ था, परन्तु बाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त फैसले को पलटते हुये क्रेता को सौपने का निर्देश दिया। इस प्रकार उक्त बंधक रखी गयी सम्पति माननीय अधिकरण के निर्देशानुसार क्रेता को सौपी जा चुकी है, परन्तु फिर भी अपीलार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से लिये गये 09 लाख रूपये जरिये चैक दिनांक 24.11.2016 से 31.12.2016 के मध्य लौटा दिये है जिसकी प्राप्ति अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता के नोटिस के जवाब में यह स्वीकार किया है कि राशि उक्त दिनांक को प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार मकान नम्बर 812, बख्शी हेमराज की गली, दरीबा पान, चौकडी रामचन्द्र जी जयपुर पर अपीलार्थी का कोई हक नहीं रहा है एवं पैसे लेने के बावजूद मूल इकरारनामा एवं बंध पत्र नहीं लौटा रहा है एवं एक मकान के दूसरे हिस्से पर जबरिया काबिज है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 3 कब्जेशुदा हिस्से से बिल्कुल अलग है, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा बन्धक रखी गयी सम्पत्ति एवं कब्जे की सम्पति को एक ही मानते हुये आलौच्य आदेश पारित किया है, जो न्याय के सिद्धान्तो के पूर्णतया प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा बन्धक पत्र व विक्रय इकरारनामा दोनो एक ही तारीख को एक ही सम्पत्ति के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से के निष्पादित करवाये जिस सम्पत्ति के बाबत अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय से मुकदमा हार गये एवं उक्त सम्पति विक्रेता को सौप दी। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा बंधक रखी गयी सम्पति एवं इस सम्पत्ति बाबत विक्रय इकरारनामा का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्वतः ही खारिज हो जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी की सम्पति के हिस्से पर जबरिया कब्जा कर अपीलार्थी को हैरान एवं परेशान कर रखा है एवं इस बाबत माननीय एडीजे द्वितीय, जयपुर मेट्रो प्रथम में वारिस होने के आधार पर अपने हिस्सा लेने हेतु मुकदमा दायर कर रखा है। जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अधिकरण के समक्ष दूसरे तथ्यों को उठाया है जो कि विक्रय इकरारनामा एवं बन्धक पत्र पर आधारित है। विक्रय, इकरारनामे व बंधक पत्र में वर्णित सम्पति का हिस्सा इस मुकदमें की सम्पति का हिस्से जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 3 काविज है बिल्कुल भिन्न है, जबकि अधीनस्थ अधिकरण ने दोनों सम्पत्तियों के हिस्से को एक ही मानते हुये निर्णय पारित किया है एवं इसी प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अधीनस्थ अधिकरण को गुमराह करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.09.2023 पारित करवा लिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2023 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से कब्जेशुदा कमरों का कब्जा अपीलार्थी को दिलाया जावें।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपील के तर्को का समर्थन करते हुये अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

6. प्रत्यर्थी संख्या 3 के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 आपस में मिली हुई है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी व अन्य के विरूद्ध माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष ब–उनवानी अजय सिंह बनाम निहाल सिंह व अन्य पुश्तैनी सम्पत्ति के तकासमा के लिये वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा के लिये पेश किया हआ है। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। उक्त वाद में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक वसीयतनामा पेश किया है, जिसमें अपीलार्थिया के द्वारा यह अंकित किया है कि अपीलार्थिया की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थिया की सारी सम्पत्ति की प्रत्यर्थी संख्या 1 मालिक, काबिज व स्वामी अधिकारी होगी। अपीलार्थिया ने अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी सम्पति से प्रत्यर्थी संख्या 3 व एक अन्य पुत्र को वंचित करने का कथन कर दिया है। अपीलार्थिया के पति सरकारी नौकरी में थे, सरकार से अच्छी पेंशन आती है व किराये की भी आमदनी है तथा पक्षकारान के मध्य पुश्तैनी सम्पत्ति के बंटवारे के लिये माननीय सैशन न्यायाधीश के समक्ष वाद विचाराधीन है। माननीय न्यायालय को सिविल अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थिया ने प्रत्यर्थी संख्या एक आशा कंवर को मुख्त्यारखास नियुक्त करते हुये उक्त प्रकरण में पैरवी करने के लिये नियुक्त किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत है, कोई भी व्यक्ति जिसको प्रकरण में विपक्षी बनाया गया हो वह उसी प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्त्यार खास होकर दोनों और से प्रकरण की पैरवी करने बाबत स्टोप्ड है। मकान नम्बर 812, बख्शी हेमराज की गली, दरीबा पान, चौकडी रामचन्द्र जी जयपुर का एक भाग स्वर्गीय बन्ने सिंह जी जो की अप्रार्थी के पिता है, ने अपनी स्व अर्जित आय से खरीद की थी तथा एक हिस्सा बन्ने सिंह एवं अपीलार्थिया ने संयुक्त रूप से क्रय किया था। चूंकि बन्ने सिंह जी का स्वर्गवास वर्ष 2016 में हो चुका है, इसलिए उक्त सम्पति में प्रत्यर्थी संख्या 3 उनका विधिक उत्तराधिकारी होने की हैसियत से मालिक स्वामी होकर सम्पति पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग नियमित रूप से करता आ रहा है तथा सम्पति का अन्य

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा जो अपीलार्थिया एवं उसके पति बन्ने सिंह के नाम से है उसके बदले अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थी संख्या 3 के हक में दस्तावेजात तहरीर व तकमील कर प्रत्यर्थी संख्या 3 से रूपया प्राप्त कर रखा है और उक्त सम्पति का बेचान भी प्रत्यर्थी संख्या 3 को कर रखा है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 का उद्देश्य बुजुर्ग माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण दिलाये जाने बाबत है। ऐसे माता–पिता जिनके स्वयं के पास अर्जित करने का कोई जरिया नहीं होता है एवं स्वयं अपने स्तर पर भरण पोषण करने में असमर्थ रहते है तो वह व्यक्ति अपनी संतानो के विरूद्ध इस अधिनियम के तहत भरण–पोषण प्राप्त कर सकता है। इस अपील में अपीलार्थिया द्वारा अपने अन्य संतानो के बहकावे में आकर झूंठे एवं निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र भरणीकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थिया के पति स्व॰ श्री बन्ने सिंह पुलिस विभाग से सेवानिवृति के पश्चात देहवासन होने के बाद अपीलार्थिया को लगभग 9000/–रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में नियमित प्राप्त कर रही है। अपीलार्थिया स्वयं की आयकर विवरिणी का इनकम टैक्स विभाग के वार्ड संख्या–5 (1) आई.टी.ओ. में दाखिल करती है। अपीलार्थिया ना केवल अच्छी आय अर्जित कर रही है, अपितु प्राप्त अर्जित आय पर टैक्स भी अदा कर रही है। इस कारण भी अपीलार्थिया भरण पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थिया किराये की आमदनी लगभग 40,000/–रूपये प्रतिमाह अर्जित करती है। अपीलार्थिया की समस्त चिकित्सा फ्री दवा एवं ईलाज प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अधिनियम में दिये गये प्रावधानो का गलत उपयोग अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति हेतु नहीं किया जा सकता है, जबकि अपीलार्थिया द्वारा उक्त अधिनियम के तहत सिविल रेमेडी चाही गई हैं। जिसके बारे में किसी भी प्रकार के तथ्यों एवं बिन्दुओं को तय किये जाने का अधिकार विधिवत रूप से माननीय न्यायालय को नहीं है। अपीलार्थिया अपने पुत्री आशा कंवर से अत्यधिक स्नेह करती है इस कारण उसने अपनी उक्त पुत्री के प्रभाव एवं नाजायज दबाव में आकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि श्रीमती आशा कंवर किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण सम्पत्तियो के गलत आधारो पर हडप कर अपीलार्थिया संख्या 3 को सम्पत्तियों से बेदखल करना चाहती है। अपीलार्थिया द्वारा आशा कंवर के नाम सम्पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत कर दी है इससे भी यह स्पष्ट है कि अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थी संख्या 3 के विरूद्व साजिश कर रखी है। अतः प्रार्थिया की अपील खारिज फरमाई जावे।

7. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

8. अपीलार्थिया द्वारा पूर्व में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 के विरूद्व अपील पेश की गई थी जिसमें आदेश दिनांक 04.08.2022 से अपीलार्थिया के पति का पुलिस विभाग से सेवा निवृत्त होने एवं उनकी पारिवारिक पेंशन अपीलार्थिया को प्राप्त होने से भरण पोषण राशि का अनुतोष अस्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थी संख्या 3 के कब्जे शुदा कमरों का कब्जा एवं मूल विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.07.2021 दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया था जिसके लिए अपीलीय आदेश दिनांक 04.08.2022 से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रति प्रेषित कर उभय पक्ष को सनुवाई का समुचित अवसर दिया जाकर सम्पत्ति एवं इकरानामा बाबत नये सिरे ये निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उभय पक्ष को पुनः सुन कर, मौका कमिश्नर की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण भरण पोषण का प्रतीत नहीं होने एवं सम्पत्ति का विवाद प्रतीत होने से विक्रय इकरारनामा निरस्त किया जाना एवं

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सम्पत्ति के विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपीलार्थिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2023 को खारिज किया गया है। मौका कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार तृतीय फ्लोर का सम्पूर्ण भाग अपीलार्थिया के कब्जे में है। अपीलार्थिया व उसके पति द्वारा उक्त सम्पत्ति के कुछ हिस्सों बाबत पृथक–पृथक व्यक्तियों को बेचान, बन्धक एवं वसीयत की हुई है। उक्त सम्पत्ति का कुछ हिस्सा जरिये विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.07.2011 को प्रत्यर्थी संख्या 3 व उसकी पत्नी के पक्ष मे तहरीर किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप उक्त सम्पत्ति के कुछ कमरों पर प्रत्यर्थी संख्या 3 का कब्जा है। पक्षकारान के मध्य विवादित सम्पत्ति बाबत विभाजन का वाद माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थिया की अपील भरण पोषण से संबंधित नहीं होकर पक्षकारान के मध्य सम्पत्ति को लेकर आपसी विवाद होने के तथ्य सामने आये है। इसलिए अपीलार्थिया द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 19.09.2023 की पुष्टि की जाती है।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner